e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30/2022..7010.........**पटना, दिनांक :–** 14/09/2023

आदेश

मो0 तौफिक आलम (ASO00140), शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदन प्राप्त है कि दिनांक 17.08.2023 को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय के अन्तर्गत शिविर संख्या–रामगढ़ चौक 01 का विशेष सर्वेक्षण कार्यों के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दिनांक 17.08.2023 तक उक्त शिविर का अन्तिम प्रकाशित कुल मौजो की संख्या शून्य पाया गया है।

निरीक्षण टीम द्वारा शिविर के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि शिविर में दायर वाद संख्या–GOV2023080/6079 में आपत्तिकर्त्ता, मो0 भुनेश्वरी देवी, पति–स्व0 लखन दास, ग्राम–सोंधी, पो0–शरमा, अंचल–रामगढ़ चौक द्वारा खाता खोलने संबंधी वाद दायर किये गये है, जिसमें अंचल अधिकारी को सूचना दिनांक 05.08.2023 को निर्गत किया गया है, जिसमें दिनांक 08.08.2023 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है तथा इसका तामिला दिनांक 08.08.2023 को ही कराया गया है। बिना अंचल अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थित हुए दिनांक 08.08.2023 को ही एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए आदेश आपत्तिकर्त्ता के पक्ष में पारित किया गया है। अभिलेख में सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं पाया गया।

इसी प्रकार वाद संख्या–GOV2023080/6077 में आपत्तिकर्त्ता, सीमा आर्या, पति–उदय रविदास, निवास–बैकरपुर, रोहनटोला, डाकघर–खुसरूपुर, जिला–पटना द्वारा खाता दर्ज करने के संबंध में दाखिल वाद में अंचल अधिकारी को सूचना दिनांक 04.08.2023 को निर्गत किये जाने का उल्लेख किया गया है। बिना अंचल अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थित हुए दिनांक 08.08.2023 को एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वाद अस्वीकृत किया गया है। अभिलेख में प्रतिवादी (अंचल अधिकारी) को सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मो0 आलम द्वारा सर्वेक्षण कार्य नियमानुकूल नहीं किया जा रहा है तथा इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य नियम के विरूद्ध व मनमाने ढंग से किया जा रहा है।

उक्त शिविर में आपसी रंजिश व विवाद का माहौल पाये जाने के साथ–साथ निरीक्षण टीम के समक्ष ही आरोप प्रत्यारोप व विवाद की स्थिति पायी गयी है।

शिविर स्तरीय समीक्षा के क्रम में प्रगति के ऑकड़े दिनांक 17.08.2023 तक जो पायी गयी वह निम्नवत् है :–

समीक्षा की तिथि	कुल मौजों की सं0	एल0पी0एम0 कुल मौजों की सं0	प्रारूप प्रकाशन कुल मौजों की सं0	अंतिम प्रकाशन कुल मौजों की सं0
दिनांक 20.04.2023	32	01	01	0
दिनांक 14.08.2023	32	01	01	0
प्रगति	–	0	0	0

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण शिविर रामगढ़ चौक–1 के शिविर प्रभारी द्वारा न तो उनके शिविर में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की गहन समीक्षा की जा रही है और न ही कोई रूचि परिलक्षित हो रही है, जबकि इस शिविर कुल 02 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 16 विशेष सर्वेक्षण अमीन पदस्थापित है। शिविर प्रभारी का पदस्थापन भी लगभग तीन वर्षों से है, इसके बावजूद इनके शिविर का 01 प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशित राजस्व ग्राम की संख्या शून्य है।

रामगढ़ चौक–1 अंतर्गत कुल 2500 तक खेसरों वाले राजस्व ग्राम की संख्या–04 है। दिनांक 11.04.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा 101–2500 तक खेसरों वाले राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन की तिथि 30.06.2023 निर्धारित की गई थी, परन्तु इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों के निदेश को भी गंभीरता से नहीं लिया गया है, जो इनके मनमाने रवैया का द्योतक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मो0 आलम से दिनांक 08.02.2023, 20.04.2023 एवं 14.08.2023 को जूम के माध्यम से इनके शिविर के प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहने के कारण निदेशालय पत्रांक–1371 दिनांक 08.02.2023, 2927 दिनांक 25.04.2023 एवं 6415 दिनांक 16.08.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। संबंधित द्वारा स्पष्टीकरण अपने निर्धारित समय के अंदर समर्पित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मो0 आलम द्वारा स्पष्टीकरण में दिए गए तथ्य संतोषजनक नहीं है। बार–बार कार्यों के प्रगति के विरूद्ध स्पष्टीकरण किये जाने के बाद भी इनके कार्य संस्कृति में कोई सुधार नहीं पाया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं लिया गया है, जो कि आदेशोल्लंघन, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के साथ–साथ स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इनके कृत्य का कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर नहीं पड़ने तथा सर्वेक्षण कार्य में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इन्हें संविदा नियोजन बनाये रखना उचित नहीं है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8 (4) के आलोक में मो0 तौफिक आलम (ASO00140), शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 14/9/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022...2010... **पटना, दिनांक** :–14/09/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 14/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022...2010... **पटना, दिनांक** :–14/09/2023

प्रतिलिपि : मो0 तौफिक आलम, शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, (Emp.ID- ASO00140), लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 14/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022...2010... **पटना, दिनांक** : 14/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मी का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक 14/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप